

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
ई-मेल द्वारा

परिपत्रांक 24/24 कृषि निवेश/बी-250(टीसी-1) दिनांक: लखनऊ: // जून 2018
1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र०।

2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि०।

3. समस्त जिला प्रबन्धक
पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय- दिनांक 02.06.2018 से कृमको यूरिया नीम कोटेड उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरो के सम्बन्ध में।

मुख्य राज्य प्रबन्धक उ०प्र० कृमको लखनऊ ने अपने पत्र सं० 1069 दिनांक 02.06.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 12014/2009-एफपीपी दिनांक 17.05.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यूरिया पर ए०सी०टी०एन० टैक्स में परिवर्तन होने के कारण यूरिया बिक्री मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है जिसके कारण नीम कोटेड यूरिया की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे दिनांक 02.06.2018 से संशोधित होगी। तदनुसार कृमको के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 02.06.2018 से सहकारी समितियों को आपूर्ति होने वाली कृमको स्वदेशी एवं आयातित यूरिया उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे निम्नानुसार संसूचित की जाती है:-

(धनराशि रू० में)

क्र०	विवरण (प्रति मैटन)	यूरिया नीम कोटेड 45 कि०ग्रा०	यूरिया नीम कोटेड 50 कि०ग्रा०
1	एक्स फैक्ट्री प्राईस		
2	एसीटीएन(+)	5291.78	5965.05
3	योग	688.89	680.00
4	सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	5980.67	5945.05
5	एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	149.52	148.63
6	कुल जी.एस.टी. धनराशि	149.52	148.63
7	राउन्डिंग आफ (-)	299.04	297.26
		6.96	4.00

35/5/2018
दि० 13/6/18

जयश्री डी.एस.एस.

कृषि निवेश (SMT)
13/6/18

8	नेट इश्यू प्राइस	6272.75	6238.30
9	वितरण मार्जिन	354.00	354.00
10	मार्जिन पर सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	8.85	8.85
11	मार्जिन पर एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	8.85	8.85
12	मार्जिन पर कुल जी.एस.टी. घनराशि	17.70	17.70
13	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर	6644.45	6610.00
14	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किग्रा बैग	299.00	330.50

कृषकों द्वारा उक्त यूरिया नीम कोटेड उर्वरकों की आपूर्ति व बिक्री निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी:-

- 1-भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15011/33/2017-डी.बी.टी. दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सम्पूर्ण देश में उर्वरक अनुदान भुगतान में डी.बी.टी. को सम्पादित करने हेतु समय सारणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.02.2018 से उर्वरकों का बिक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- 2-पीसीएफ सेवा केन्द्रों/समितियों/अन्य बिक्री केन्द्रों/प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत उपलब्ध संभार जो ए0सी0टी0एन0 बढ़ने से पूर्व में ही क्रय किया गया है, उसकी बिक्री पुरानी दरों पर ही की जायेगी।
- 3-आपूर्ति एवं बिक्री की उपरोक्त दरें दिनांक 02.06.2018 से सहकारी समितियों को आपूर्ति होने वाली कृषकों स्वदेशी एवं आयातित यूरिया नीम कोटेड उर्वरक पर प्रभावी होंगी।
- 4-यूरिया नीम कोटेड उर्वरकों की बिक्री अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन से ही की जाय जो बिक्री केन्द्र पीओएस मशीन द्वारा बिक्री नहीं करते हैं, उन्हें भारत सरकार के निर्देशानुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके आदि अन्य रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति न किया जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ताओं का होगा।


 (नरेन्द्र कुमार सिंह)
 आयुक्त एवं निबन्धक
 सहकारिता, उ०प्र०
 लखनऊ।

परिपत्रांक : ~~सी-24~~ / कृषि निवेश/बी-250 टीसी-1 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. अपर मुख्य सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

(राम प्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०